

2 अक्टूबर, 2020

सरकारी आदेश 2020-56

**COVID-19 की प्रतिक्रिया में कार्यकारी आदेश**  
**(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या 52)**

**जबकि**, कोरोनावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गई है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, कोविड-19 (COVID-19) श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणहीन लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

**जबकि**, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

**जबकि**, 18 सितंबर, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैं पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, जन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ कार्य करते हुए, मैंने एक सुविचारित योजना प्रस्तुत की थी जो कोविड-19 (COVID-19) के पुनरुत्थान का मुकाबला करने और अनियंत्रणीय प्रसार की रोकथाम करने के लिए न्यूनीकरण के चरणों की कई पतों को उपयोग में लाती है; और,

**जबकि**, उस योजना में ऐसे दो परिदृश्यों का वर्णन था जिसमें राज्य को किसी क्षेत्र विशेष में अधिक प्रतिबंधात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय स्थापित करने पड़ते और अतिरिक्त न्यूनीकरण लागू करने पड़ते: पहला, परीक्षणों के पॉज़िटिव आने की दर के 7-दिनी चल औसत में लगातार (10 में से 7 दिन) वृद्धि होना, और साथ में या तो (a) किसी कोविड-जैसे रोग के लिए अस्पताल में होने वाली भर्तियों में लगातार 7 दिन वृद्धि हो, या फिर (b) अस्पताल की क्षमता में इतनी कमी हो जिससे मामलों में उछाल को संभालने की क्षमता खतरे में पड़ जाए (ICU क्षमता या मेडिकल/सर्जिकल शैया 20% से कम); अथवा दूसरा, तीन क्रमागत दिनों का औसत, परीक्षणों के पॉज़िटिव आने की 8% की दर (7 दिनी चल औसत) के बराबर या उससे अधिक हो; और,

**जबकि**, क्षेत्र 1, जो बून, कॅरोल, डिकैल्ब, जो डेविस, ली, ओगल, स्टीफेंसन, व्हाइट साइड और विन्नीबैगो काउंटियों को मिलाकर बना है, में हो रहे वर्तमान प्रसार ने इनमें से दूसरे परिदृश्य को सक्रिय कर दिया है

क्योंकि क्षेत्र का औसत तीन क्रमागत दिनों के लिए कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण पॉज़िटिव आने की 8% की दर (7 दिनीय चल औसत) से अधिक रहा है; और,

**जबकि**, जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) ने क्षेत्र 1 के स्थानीय जन स्वास्थ्य विभागों और नेताओं से परामर्श करके उन विशिष्ट चुनौतियों के लिए उपयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य न्यूनीकरण रणनीतियां निर्धारित की हैं जो कोविड-19 (COVID-19) के और प्रसार को रोकने के प्रयास में इस क्षेत्र के सामने आ रही हैं;

**इसलिए**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 3 अक्टूबर, 2020 की शाम 5:00 बजे से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

अनुभाग 1. क्षेत्र 1 जिसमें बून, कॅरोल, डिकैल्ब, जो डेविस, ली, ओगल, स्टीफेंसन, व्हाइट साइड और विन्नीबैग काउंटियां शामिल हैं, के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंध और न्यूनीकरण किए जाते हैं:

- a. **रेस्त्राओं और बार के लिए न्यूनीकरण।** क्षेत्र के रेस्त्रां एवं बार इन प्रतिबंधों और न्यूनीकरण उपायों के अधीन हैं, जो भवन के अंदर एवं बाहर खुले में भोजन के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी) द्वारा जारी चौथे चरण के मार्गदर्शन के संपूरक हैं:
  1. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बार रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाएंगे, और अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।
  2. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बार, परिसर में भवन के अंदर उपभोग स्थगित रखेंगे।
  3. परिसर में खाने या पीने वाले सभी ग्राहक बाहर खुले में कम-से-कम छः फ़ीट दूर रखीं मेज़ों पर बैठेंगे। एक मेज़ पर एक से अधिक दल (पार्टी) नहीं बैठेगा।
  4. जिन ग्राहकों को बैठने के लिए अब तक कोई मेज़ न मिली हो वे परिसर से बाहर प्रतीक्षा करेंगे और, प्रतीक्षा करते समय उस दल (पार्टी) से बड़े समूहों में एकत्र नहीं होंगे जिसके साथ वे भोजन करने आए हैं। परिसर में खड़े होने, एकत्र होने, या नाचने की अनुमति नहीं है।
  5. हर दल (पार्टी) के पास आरक्षण होना चाहिए, भले ही वह वहीं आकर लिया गया हो, ताकि संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में रेस्त्रां या बार के पास प्रत्येक दल (पार्टी) तक पहुंचने के लिए संपर्क जानकारी हो।
- b. **सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए न्यूनीकरण।** क्षेत्र की सभाएं एवं सामाजिक कार्यक्रम इन प्रतिबंधों और न्यूनीकरण उपायों के अधीन हैं, जो सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी) द्वारा जारी चौथे चरण के मार्गदर्शन के संपूरक हैं:
  1. सभाएं एवं सामाजिक कार्यक्रम 25 लोगों और समग्र कक्ष क्षमता के 25% में से जो भी कम हो उस तक सीमित हैं।
  2. संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) के लिए उपस्थिति सूचियां रखना आवश्यक है।
  3. पार्टी बसों की अनुमति नहीं है।
- c. **गेम और कसीनो के लिए न्यूनीकरण।** क्षेत्र के गेम और कसीनो इन प्रतिबंधों और न्यूनीकरण उपायों के अधीन हैं:
  1. रात्रि 11:00 बजे गेमिंग के स्थान और कसीनो बंद हो जाने चाहिए और गेमिंग टर्मिनलों को संचालन रोक देना चाहिए।
  2. गेमिंग के स्थान और कसीनो क्षमता के 25% पर सीमित हैं।
  3. गेमिंग के स्थानों और कसीनो को अपनी इकाइयों के रेस्त्रां एवं बार वाले भागों के लिए रेस्त्रां एवं बार की न्यूनीकरण रणनीतियों का पालन करना होगा।
- d. **सभी कार्यस्थलों के लिए न्यूनीकरण।** व्यवसाय और प्रतिष्ठान उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए घर से कार्य करना प्रचलित करेंगे, और यह मूल्यांकन करेंगे कि और कर्मि घर से कार्य कर सकते हैं या नहीं। यह सरकारी आदेश अधिकतम संभव कर्मियों के लिए घर से कार्य करने को प्रोत्साहित करता है।

अनुभाग 2. यह कार्यकारी आदेश समुदाय पुनर्जीवन आदेश (सरकारी आदेश 2020-43) का संपूरक है, जो तब के सिवाय प्रभावी है जब इसके नियम, उपर्युक्त अनुभाग 1 में सुव्यक्त रूप से वर्णित नियमों के साथ असंगत हों। समुदाय पुनर्जीवन आदेश की अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें सामाजिक दूरी तथा फ़ेस कवर पहनने से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं, लागू रहेंगी। समुदाय पुनर्जीवन आदेश के अनुभाग 4 में वर्णित छूटें इस सरकारी आदेश पर लागू होती हैं।

अनुभाग 3. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल  
(Governor)**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 2 अक्टूबर, 2020 को जारी  
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 2 अक्टूबर 2020